



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्बत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2302/वि०स०/संसदीय/115(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तारीख 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में, —

(क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

(80क) “ऑनलाइन गेम खेलना” से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख) “ऑनलाइन धनीय गेम खेलना” से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(102क) “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” से,—

(i) दांव लगाने;

(ii) कैसिनो;

(iii) द्यूतक्रीडा;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना;”

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिदाता हो।”

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“(117क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिए समनुदेशित है”।

धारा 24 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द “और” निकाल दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और”।

4-मूल अधिनियम में, अनुसूची 3 में, पैरा 6 में शब्द "लाटरी, दांव और चूत" के स्थान पर, शब्द "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" रख दिये जाएंगे।	अनुसूची 3 का संशोधन
5-इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, छूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।	संक्रमणकालीन उपबंध
निरसन और वयावृत्ति 6-(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।	

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधान मण्डल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2023) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 18 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से, राज्य स्तर पर भी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,  
मुख्य मंत्री।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संलग्न धाराओं का उद्धरण।**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 24

[24] कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण,—धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा,—

x x x x x x x x

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुँच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है;

अनुसूची-3

अनुसूची-3

[धारा 7]

\* \* \* \* \*

6—लाटरी, दांव और द्यूत से भिन्न अनुयोज्य दावे।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR  
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1180/XC-S-1-23-15S-2023  
Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION  
MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 29, 2023.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX  
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

A  
BILL

*further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India  
as follows :-

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax  
(Second Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of  
October, 2023.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), – Amendment of section 2

(a) *after* clause (80), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;"

(b) *after* clause (102), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-

- (i) betting;
- (ii) casinos;
- (iii) gambling;
- (iv) horse racing;
- (v) lottery; or
- (vi) online money gaming;"

(c) in clause (105), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:-

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"

(d) *after* clause (117), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961;"

3. In section 24 of the principal Act,–

(a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be *omitted*;

(b) *after* clause (xi), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

4. In the principal Act, in Schedule III, in paragraph 6, *for* the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be *substituted*. Amendment of Schedule III

5. The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming. Transitory provision

Repeal and saving

6. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ordinance no. 16 of 2023

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to make provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

According to the provisions of Article 246-A(1) of the Constitution of India, both the Parliament and the State Legislature have the power to make laws for the imposition of Goods and Services Tax. On the recommendation of GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Act no. 30 of 2023), which was enacted by the Parliament and received the assent of the President on 18<sup>th</sup> August, 2023.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level as well, with the view to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 16 of 2023) was promulgated by the Governor on 30<sup>th</sup> September, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

*Mukhya Mantri.*

By order,

J. P. SINGH-II,  
*Pramukh Sachiv.*